भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1684

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में नामांकन में गिरावट

†1684. **श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार देश के ग्रामीण भागों में सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में 67 प्रतिशत की गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा छात्रों को सरकारी स्कूलों में नामांकित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या कई निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): वार्षिक शिक्षा स्थिति संबंधी रिपोर्ट (एएसईआर) सर्वेक्षण एक गैरसरकारी संगठन द्वारा किए जात हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों के संबंध में डेटा रिकॉर्ड करने के हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित की है। यूडाइज़ + के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रामीण नामांकन क्रमशः 10,58,20,227 और 4,27,51,741 है।

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों के अधिगम परिणामों और दक्षताओं का मूल्यांकन करना है। राष्ट्रीय, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर छात्रों के प्रदर्शन का कक्षावार, विषयवार और प्रबंधनवार ब्यौरा https://nas.gov.in/report-card/2021. पर उपलब्ध है।
शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों

और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल की अवसंरचना को मजबूत करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायक साधन और उपकरणों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******